भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2402
उत्तर देने की तारीख-03/08/2026

उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों की ड्रॉप-आउट दर

2402. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**
श्री आदित्य यादव:
क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों से स्वेच्छा से पढ़ाई छोड़ने वाले या ड्रॉप-आउट करने वाले अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के विद्यार्थियों की संस्थान-वार और वर्ग-वार संख्या कितनी है;
(ख) इस संबंध में पहचाने गए मुख्य कारण क्या हैं और सरकार द्वारा उक्त ड्रॉप-आउट दरों को कम करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं;
(ग) परिसर में अलगाव की भावना अथवा वित्तीय संकट जैसे सामाजिक-आर्थिक और संस्थागत कारकों, जो इन विशिष्ट ट्रॉप आउट दरों के लिए उत्तरदायी हैं, के मूल्यांकन का कार्य करने वाली आंतरिक समितियों के सार्वजनिक न किए गए निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त प्रमुख संस्थानों को उनकी शैक्षणिक परामर्श व्यवस्था तथा वित्तीय सहायता मॉडलों में सुधार करने और न्यायसंगत प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस और उल्लेखनीय निर्देश दिए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)
(क) से (घ): उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में, छात्रों के पास कई विकल्प होते हैं और वे एक पाठ्यक्रम या कार्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में स्थानांतरित होते हैं। उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के दौरान प्लेसमेंट/रोजगार मिलने के बाद छात्र भी बाहर चले जाते हैं। तथापि, उच्चतर शिक्षा में पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने वित्तीय सहायता और छात्रवृत्तियां जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम-यूएसपी) योजना, वंचित समूहों

की शुल्क छूट/कमी, पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना जैसे अध्ययन ऋण को प्रोत्साहन देना, और अधिक संस्थानों की स्थापना, परामर्श प्रकोष्ठों की स्थापना जैसी छात्र सहायता प्रणाली, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना, उपचारात्मक कोचिंग प्रदान करना, ऑनलाइन और डिजिटल अधिगम (ओडीएल) के तहत स्वयम जैसी पहल, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) और ई-पीजी पाठशाला शामिल हैं। इसके अलावा, एनईपी 2020 के आलोक में, शैक्षणिक सुधारों के लिए कई पहलें जैसे बहु प्रवेश और निकास विकल्प, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) आदि शुरु की गई हैं।

शिक्षा में समता और समावेशन के मुद्दे का समाधान करने के लिए सरकार ने बहुआयामी दृष्टिकोण और पहलों की शुरुआत की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में समता का संवर्धन) विनियम, 2012 अधिसूचित किए गए हैं,जो इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू है। यह उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनकी जाति, पंथ, धर्म, भाषा, जातीयता, जेंडर और दिव्यांगता के प्रति किसी भी पूर्वाग्रह के बिना छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उपाय करने का प्रावधान करता है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ छात्रों, अनुसंधान विद्वानों और गैर-शिक्षण संकाय सहित संकाय को सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के साथ परामर्श केन्द्रों की स्थापना करने का भी प्रावधान है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के किसी भी मुद्दे पर सक्रिय रूप से समाधान करने के लिए, संस्थानों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र प्रकोष्ठ, समान अवसर प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत प्रकोष्ठ, छात्र शिकायत समिति, छात्र सामाजिक क्लब, संपर्क अधिकारी, संपर्क समिति आदि जैसे तंत्र स्थापित किए हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के बीच समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी किए हैं।

यूजीसी ने विद्यार्थियों के लिए शारीरिक फिटनेस व खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने; शैक्षणिक दबाव, सहकर्मी दबाव, व्यवहार संबंधी मुद्दों, तनाव, कैरियर संबंधी चिंताओं, अवसाद और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी अन्य मुद्दों से सुरक्षा सुनिश्चित करने; विद्यार्थी समुदाय में सकारात्मक सोच और भावनाओं का विकास करने; तथा विद्यार्थियों के लिए एक सकारात्मक एवं सहयोगात्मक नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 13.04.2023 को दिशानिर्देश भी जारी किए।

इसके अलावा, यूजीसी ने उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की आशंका को रोकने के लिए यूजीसी विनियम, 2009 को भी अधिसूचित किया था और वर्ष 2016 में इसमें संशोधन किया था और नियमों के सख्त अनुपालन के लिए परिपत्र जारी किए थे।
सुरक्षित परिसर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने अपने सभी आधिकारिक सोशल मीडिया मंचों, जिनमें एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप तथा यूट्यूब शामिल हैं, पर व्यापक रैगिंग-रोधी जन-जागरूकता

अभियान प्रारंभ किया है। इन अभियानों के अंतर्गत लघु वीडियो, बैनर तथा अन्य रचनात्मक सामग्री 21 भाषाओं में प्रसारित की जा रही है, ताकि व्यापक पहुँच एवं सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

रैगिंग, उत्पीड़न अथवा भावनात्मक संकट से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे विद्यार्थियों को समयबद्ध एवं गोपनीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए 12 भाषाओं में संचालित राष्ट्रव्यापी 24×7 टोल-फ्री रैगिंग-रोधी हेल्पलाइन 1800-180-5522 भी कार्यरत है।
